संख्या–775 /2021–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानुपर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 29 अप्रैल, 2021

विषयः– शुक्रवार दिनांक 30.04.2021 की रात्रि 08:00 बजे से मंगलवार दिनांक 04.05.2021 तक की प्रातः 07:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने एवं अन्य निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–720/2021–सीएक्स–3, दिनांक 20.04.2021 के कम में दिनांक 30.04.2021 शुक्रवार की रात्रि 08:00 बजे से दिनांक 04.05.2021 मंगलवार की प्रातः 07:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 02.05.2021 को पंचायत चुनाव में मतगणना का कार्य कोविड के निर्धारित प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। कृपया उक्त के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–3247/रा0नि00आ0–3/पं0नि0/2021, दिनांक 29.04.2021 का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, राजस्व/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश।
(5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(6) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुमार प्रशान्त)
विशेष सचिव।

संख्या– 720 /2021–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानुपर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 20 अप्रैल, 2021

विषयः– प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08:00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने एवं अन्य निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–709/2021–सी0एक्स––3, दिनांक 16.04.2021 के कम में कोरोना संकमण की प्रभावी रोकथाम हेतु प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08:00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग की जायेगी। इस संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

(1) प्रत्येक शहर/प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रु0 1000 तथा दूसरी बार अधिकतम रु0 10000 तक जुर्माना किया जाये। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व हो। वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित भी करेंगे।

(2) वर्तमान में कोविड–19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के संबंध में प्रदेश के समस्त जनपदों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की जाए। इस संबंध में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं भी चेकिंग की जाए तथा सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

(3) कोविड–19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु धार्मिक कार्यकमों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यकमों को घर के अन्दर ही मनाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाय।

(4) शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री (Continuous Process industry) को चलाने की अनुमति के साथ–साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड–19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिकों/श्रमिकों को तद्नुसार आने–जाने की अनुमति होगी।

(5) शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड–19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

(6) पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड–19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आई0डी0 कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।

(7) कोविड–19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी।

(8) अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

(9) प्रेस प्रिन्ट / इजेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।

(10) सरकारी / निजी अस्पतालों, सरकारी / निजी मेडिकल कालेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन से संबंधित समस्या के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी जाय।

(11) अग्निशमन विभाग द्वारा जनपदों में फागिंग कराये जाने हेतु अग्निशमन विभाग से समन्वय स्थापित करके इसको भी सुनिश्चित करायें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, राजस्व / चिकित्सा स्वास्थ्य / पंचायती राज विभाग / चिकित्सा शिक्षा / ग्राम्य विकास / नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश।
(5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(6) पुलिस महानिदेशक, अग्नि शमन सेवा, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुमार प्रशान्त)
विशेष सचिव।

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0
पी सी एफ भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2630130 (कार्यालय)
फैक्स : 0522-2630115, 2630134
वेबसाइट : http://sec.up.nic.in
ईमेल : secup@up.nic.in,
secup32@gmail.com

State Election Commission, U.P.
P.C.F. Building 32-Station Road, Lucknow
Phone 0522-2630130 (O)
Fax 0522-2630115, 2630134
Website http://sec.up.nic.in
Email secup@up.nic.in,
secup32@gmail.com

संख्या 3247/ रा0नि0आ0–3/ पं0नि0/ 2021 दिनांक 27/04/2021

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
उत्तर प्रदेश।

विषय : मतगणना हेतु कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 के अन्तर्गत प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु मतगणना दिनांक 02 मई, 2021 को नियत है।

2– कोविड–19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत मतगणना केन्द्र पर निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी :–

1. प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घण्टा पूर्व आर0टी0पी0सी0आर0 अथवा रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड–19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के उपरान्त मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

   अथवा

   मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
2. प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाईयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।
3. कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा।
4. मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
5. मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र न होने दिया जाए।
6. मतगणना कक्ष/हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा।
7. मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर विसंक्रमित किया जाएगा।
8. मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज/विसंक्रमित किया जाएगा।
9. मतगणना टेबिल की संख्या कोविड–19 की गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी। मतगणना हाल/कक्ष/परिसर में प्रवेश के समय

(क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।

(ख) सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा।

10. जिस व्यक्ति को कोविड–19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

11. मतगणना हाल/कक्ष के अन्दर मतगणना कार्मिकों, अभिकर्ताओं आदि के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध एवं कोविड–19 की गाइड लाइन के अनुसार होगी।

12. विजय जुलूस प्रतिवन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा।

13. किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धार 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या : (1)/रा0नि0आ0–3/पं0नि0/2021 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पंचायती राज विभाग, लखनऊ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह एवं गोपन विभाग, लखनऊ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ।
5. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
6. कन्ट्रोल रूम, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021
7. गार्ड फाइल, अनुभाग–3

(एस0के0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0
पी सी एफ भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2630130 (कार्यालय)
फैक्स : 0522-2630115, 2630134
वेबसाइट : http://sec.up.nic.in
ईमेल : secup@up.nic.in,
secup32@gmail.com

State Election Commission, U.P.
PCF Building 32-Station Road, Lucknow
Phone 0522-2630130 (O)
Fax 0522-2630115, 2630134
Website http://sec.up.nic.in
Email secup@up.nic.in,
secup32@gmail.com

दिनाक : 29 /04/ 2021

संख्या : / रा0नि0आ0–3 / प0नि0 / 2021

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट /
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
उत्तर प्रदेश।

विषय : मतगणना हेतु कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 के अन्तर्गत प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु मतगणना दिनांक 02 मई, 2021 को नियत है।

2– कोविड–19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत मतगणना केन्द्र पर निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी :–

1. प्रत्याशियों / अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घण्टा पूर्व आर0टी0पी0 सी0आर0 अथवा रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड–19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के उपरान्त मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

   अथवा

   मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट / थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
2. प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाईयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।
3. कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा।
4. मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
5. मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र न होने दिया जाए।
6. मतगणना कक्ष / हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिडकियां एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा।
7. मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर विसंक्रमित किया जाएगा।
8. मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज / विसंक्रमित किया जाएगा।
9. मतगणना टेबिल की संख्या कोविड–19 की गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी। मतगणना हाल / कक्ष / परिसर में प्रवेश के समय

(क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।

(ख) सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा।

10. जिस व्यक्ति को कोविड–19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

11. मतगणना हाल/कक्ष के अन्दर मतगणना कार्मिकों, अभिकर्ताओं आदि के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध एवं कोविड–19 की गाइड लाइन के अनुसार होगी।

12. विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा।

13. किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धार 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(एस0के0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या :3247(1)/रा0नि0आ0–3/पं0नि0/2021 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पंचायती राज विभाग, लखनऊ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह एवं गोपन विभाग, लखनऊ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ।
5. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
6. कन्ट्रोल रूम, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021
7. गार्ड फाइल, अनुभाग–3

(एस0के0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

C:\USERS\ACER\DESKTOP\ALL DMS REG COVID-19 INSTRUCTION FOR COUNTING.DOC